

आम सूचना

झालसा के द्वारा निर्देशित होकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश –सह– अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लातेहार सर्व साधारण को यह सूचित करते हैं कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लातेहार के तत्वावधान व्यवहार न्यायालय, लातेहार द्वारा PLV (Para Legal Volunteer) का पैनल तैयार होना है। इसमें कुल 34 व्यक्तियों का चयन होना है विदित रहे कि PLV में चयन के उपरांत उन्हें दिए गए कार्यान्वयन झालसा द्वारा निर्धारित मानदेय देय होगा, अन्य किसी प्रकार की पारिश्रमिक नहीं दी जायेगा। PLV के चयन में निम्नलिखित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

- शिक्षक (सेवानिवृत्त शिक्षक सहित)
- सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी
- वरिष्ठ नागरिक
- चिकित्सक
- आगंनबाड़ी सेविका
- छात्र एवं कानून के छात्र/छात्रा
- गैर राजनीतिक या NGO के सदस्य
- महिला समूह सदस्य, मातृ संगम एवं अन्य स्वयं सहायता समूह के सदस्य
- शिक्षित सजावार बंदी
- शिक्षित समाजसेवी
- अन्य ऐसे सभी पुरुष/महिला जिसे DLSA, Latehar द्वारा PLV कार्य के इच्छुक / योग्य पाए जायें।

PLV पैनल में चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता – मैट्रिक उत्तीर्ण

अतः सभी इच्छुक व्यक्तियों से आग्रह है कि वे दिनांक **30/09 /2017**, अपराह्न 4:30 बजे तक जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लातेहार के कार्यालय में निम्न प्रारूप में अपना आवेदन जमा करे / सामान्य डाक से प्राप्त कराए जा सकते हैं। आवेदन के साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों कि स्वाप्रमाणित प्रति एवं एक स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटो चिपकाए एवं एक पासपोर्ट साईज फोटो संलग्न करें। आवेदन फार्म व्यवहार न्यायालय, लातेहार के वेबसाइट www.ecourts.gov.in/latehar से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा DLSA कार्यालय, व्यवहार न्यायालय, परिसर, लातेहार से प्राप्त किए जा सकते हैं।

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लातेहार

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लातेहार
PLV पैनल में चयन हेतु आवेदन पत्र

आवेदक का नाम _____

पिता / पति _____

जन्म तिथि _____

पता _____

शैक्षणिक योग्यता _____

अन्य योग्यता _____

समाज सेवा में अनुभव _____

मोबाईल न०. _____

पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदक का हस्ताक्षर